मुख्य परीक्षा

प्रश्न- भारतीय संविधान अनुसूचित जनजातियों को रेखांकित करने के संबंध में मौन है। इस संदर्भ में 'लोकूर समिति' की विशेषताओं को स्पष्ट करें तथा उनके अधिकारों को प्रमाणित करने हेतु 5वीं तथा 6वीं अनुसूची का महत्व स्पष्ट करें। (200 शब्द)

Indian constitution is silent about defining scheduled tribes. In this context explain the features of Lokur Committee and signify the importance of 5th and 6th schedule in proving their rights. (200 Words)

मॉडल उत्तर

उत्तर- भूमिका में निम्न बातों को शामिल करना चाहिए-

- भारतीय संविधान में जनजातीय समुदाय को स्पष्ट नहीं किया गया है, किन्तु आधुनिक संस्कृति के विकासात्मक तथा नैतिक मानदण्डों के आधार पर गुणात्मक तथा सांस्कृतिक भिन्नता रखने वाले वर्गों को जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है।
- किसी वर्ग को जनजाति निर्धारित करने के लिए भारत सरकार लोकूर समिति की सिफारिश के मानदण्डों को आधार बनाती है।
- उनमें आदिम जनजाति गुण
- अनुठी संस्कृति होनी चाहिए
- सामान्य नागरिकों के संपर्क से असहजता
- भौगोलिक अलगाव

5वीं अनुसूची का महत्व :

- यह अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण से सम्बन्धित है।
- राष्ट्रपति अनुच्छेद-244(G) के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान करता है।
- इसके द्वारा राज्यपाल को विशेष विधायी अधिकार के तहत अधिसूचना द्वारा विधान निर्माण का अधिकार।
- विनियम द्वारा विधान निर्माण का अधिकार।
- जनजातियों की भूमि का हस्तान्तरण तथा धन उधार के कारोबार को रोकने का प्रावधान।
- संसद तथा विधानमंडल निर्मित कानूनों को राज्यपाल द्वारा अध्यादेश के माध्यम से लागू होने से रोकने का प्रावधान।
- राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में रिपोर्ट देने का प्रावधान।
- राज्यपाल को सलाह हेतु जनजाति सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान।

6वीं अनुसूची का महत्व :

- इसके द्वारा जनजातियों को अपने क्षेत्राधिकार के मामलों में पूर्ण स्वायत्तता दिया गया।
- इन्हें 'स्वायत्त जिला' एवं स्वायत्त क्षेत्र के माध्यम से व्यवस्था की शक्ति प्राप्त है।
- संसद एवं विधानमण्डल निर्मित कानूनों को बिना राज्यपाल की अधिसूचना के लागू नहीं होना।

अंत में संक्षिप्त सकारात्मक निष्कर्ष दें।